सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 872 **23 Kartik, 1938 (S)**
Ranchi, Tuesday, 14th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th November, 2017

NOTIFICATION No-46/2017 State Tax (Rate)

S.O. No.- 126- Dated. 14th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, (Department of Commercial Taxes), No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, *vide* S.O No-41, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 3, in column (3), in item (vi), for the words "Services provided", the words "Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, provided" shall be substituted;

(ii) against serial number 7,-

(a) for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(i) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent. *Explanation*.- "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)].";

(b) for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent.	9	-";

Explanation.- "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.		

(c)the item (iv) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), shall be omitted;

(d)in item (ix), in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"(ix) Accommodation, food and beverage services other than (ii), (iii), (v), (vi), (vii) and (viii) above.

Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent shall attract state tax @ 2.5% without any input tax credit under item (i) above and shall not be levied at the rate as specified under this entry.";

(iii)against serial number 26, in column (3), in item (i), after sub-item (h), the following shall be inserted, namely: -

'(i) manufacture of handicraft goods.

Explanation. - The expression "handicraft goods" shall have the same meaning as assigned to it in the notification S.O No. 84 -State Tax, dated the 5th October, 2017 published in the Gazette of Jharkhand, as amended from time to time.'.

2. This notification shall come into force with effect from 15thof November, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,

Principal Secretary-cum Commissioner.

Note: -The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, *vide* notification No. 11/2017 - State Tax(Rate), dated the 29thJune, 2017, *vide* S.O No-41, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 31/2017-State Tax (Rate) dated the 20th October, 2017 *vide* S.O No-97, dated the 20thOctober, 2017.

वाणिज्यकर विभाग-

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2017

अधिसूचना सं०. 46/2017- राज्य कर (दर)

एस. ओ. - 126- दिनांक- 14 नवम्बर, 2017-- झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एततद्वारा झारखण्ड सरकार, (वाणिज्य कर विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017- राज्य कर (दर), जिसे **एस. ओ.** 41 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

(i) क्रम सं. 3 के समक्ष, मद (vi) में, कॉलम (3) में शब्द ''की गई हो'' के स्थान पर ''की गई झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा परिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति हो'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 7 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) की मद सं. (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(i) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल,	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)";

सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाचं सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष । *स्पष्टीकरण.-* "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।		

(ख) कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते	9	-";

हैं, जो कि किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाचं सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष । *स्पष्टीकरण.-* "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।		

(ग) कॉलम (3) की मद सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, को निरसित कर दिया जाएगा;

(घ) मद (ix) में, कालम (3) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

"(ix) आवास , भोजन ओर पेय सुविधाएं जो कि उपर्युक्त (ii), (iii), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न हों ।

स्पष्टीकरण.- किसी भी प्रकार के संदेह के समाधान के लिए एतत द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाचं सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष पर उपर्युक्त मद (i) के अंतर्गत इनपुट

टैक्स क्रेडिट के बिना 2.5 प्रतिशत की दर से राज्य कर लगाया जाएगा न कि उस दर से जो कि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है ।"

(iii)क्रम सं. 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप-मद (ज) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

"(i) हस्तशिल्प वस्तुओं का विनिर्माण;

स्पष्टीकरण- ''हस्तशिल्प वस्तुओं'' का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं. 32/2017- राज्य कर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2017, जिसे **एस. ओ.** 117 दिनांक 21 अक्टूबर 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, समय-समय पर यथा-संशोधित, में दिया गया है।''

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

नोट: - प्रधान अधिसूचना को 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून 2017, जिसे एस. ओ. 41 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 31/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 20 अक्टूबर 2017, एस. ओ. 97 दिनांक 20 अक्टूबर 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 872-- 50.